UPSI010019812026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–2, सीतापुर।
प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–364/2026
सी.आई.एस. नं. 839/2026

शहनाज उर्फ शानाज उम्र 33 वर्ष पुत्री वकालत निवासी मोहल्ला सिद्धेश्वर नगर थाना सिधौली जिला सीतापुर। .....प्रार्थिनी/अभियुक्ता।

बनाम

स्टेट अभियोजक।

अ0सं0–347/2025
धारा–305(a),331(4),317(2) बी.एन.एस.।
थाना–सिधौली,जिला– सीतापुर।

निस्तारण प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्ता शहनाज उर्फ शानाज की तरफ से अपराध संख्या 347/2025 धारा 305(a),331(4),317(2) बी.एन.एस. थाना सिधौली जिला सीतापुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिनी /अभियुक्ता की ओर से शपथकर्तिनी अलीमुन ने शपथ–पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता का न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो दिया गया है और न ही विचाराधीन है। और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ लखनऊ में जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

3– मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्री मिथिलेश तिवारी पुत्र श्री मुरारी लाल तिवारी ग्राम खरवालिया थाना सिधौली का निवासी है। प्रार्थी अपने मकान खरवलिया का ताला लगाकर विगत 3 माह से लखनऊ में परिवार सहित रहता है। लखनऊ में ही मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करता है। आज दिनांक 31.08.2025 को जब अपने घर खरवला आया, तो देखा कि घर के चैनल व लोहे का गेट का ताला टूटा हुआ था। लगभग 7 व 8 बजे घर पहुँचे थे, अन्दर जा कर देखा, तो अलमारी तोड़ कर रखे जेवर व पैसे चोरी हो गये थे तथा सामान बिखरा पड़ा था और बर्तन भी चोरी हो गये थे। चोरी गया सामान की सूची हम अलग से देंगे। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 347/2025 अंतर्गत धारा 305 भारतीय न्याय संहिता, थाना सिधौली, सीतापुर में पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा धारा 305 भारतीय न्याय संहिता को धारा 305 (a) भारतीय न्याय संहिता में तरमीम किया गया तथा फर्द बरामदगी के आधार पर धारा 331(4),317(2) भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी। उक्त प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

4– प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्को को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

5– प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। दिनांक 12.03.2026 को अटरिया थाने की पुलिस पकड़ लायी थी, जिसमें अभियुक्ता के भाई सलमान को भी पकड़ कर लाई थी चूंकि लूट की घटना अटरिया थाने में हुई थी। अभियुक्ता के भाई लुकमान की पूछताछ कर रहे थे कि तेरा भाई लुकमान कहाँ है, तेरे भाई का नाम लूट में आया है। प्रार्थिनी ने थाने में बड़ा अनुरोध किया कि मेरा भाई लुकमान मुकदमा अपराध संख्या 190/2023 धारा 363,366,376 भा०दं०सं० व 3/4 पास्को एक्ट में ए.एस.जे. कोर्ट संख्या–14 से जेल भेजा गया था, जो जेल कारागार सीतापुर में निरूद्ध था, तो लूट की घटना को कैसे अन्जाम दे सकता है। अभियुक्ता की माँ अलीमुन ने पुलिस अधीक्षक सीतापुर में प्रार्थना पत्र दिया पुलिस में रिहाई के लिए और न्यायालय श्रीमान अपर मजिस्ट्रेट/सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण महोदय, सीतापुर को दिया तो पुलिस ने अभियुक्ता के भाई लुकमान को छोड़ दिया और प्रार्थिनी/अभियुक्ता का चालान अपने बचाव में थाना सिधौली सीतापुर से चोरी के फर्जी मुकदमे में कर दिया है। थाना सिधौली की पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज की गयी है। अभियुक्ता के पास एक छोटी बच्ची रानिया है, जो लगभग 1 वर्ष की है जिसका चालान साथ में नहीं किया है। बच्ची दिन रात माँ–माँ करके रो रही है। उक्त आधारों पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

7– पत्रावली पर संलग्न केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा मिथलेश तिवारी द्वारा अभियुक्ता पर वादी मुकदमा के घर के चैनल व लोहे के गेट का ताला तोड़कर घर के अन्दर अलमारी में रखे जेवर व पैसे तथा बर्तन की चोरी करने का आरोप है। वादी ने अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। दौरान विवेचना उक्त प्रकरण की चोरी में अभियुक्ता के साथ सहअभियुक्तगण लुकमान व उसकी पत्नी मुस्कान का नाम प्रकाश में आया है,जबकि गिरफ्तार केवल अभियुक्ता शहनाज उर्फ शानाज को किया गया है। दौरान विवेचना अभियुक्ता का नाम प्रकाश में आया है। थाने से प्राप्त आख्यानुसार अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्ता दिनांक 18.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सीतापुर में निरूद्ध है और उसकी एक वर्ष की दुधमुंही बच्ची मां से पृथक रह रही है।

8– अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना प्रार्थिनी/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः प्रार्थिनी/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/अभियुक्ता शहनाज उर्फ शानाज की तरफ से अपराध संख्या 347/2025 धारा 305(a),331(4),317(2) बी.एन.एस. थाना सिधौली, जिला सीतापुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 364/2026 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा अंकन 50,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जायेः–

(i) अभियुक्ता मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उन्हें उत्प्रेरण धमकी या वचन नहीं देगी।

(ii) अभियुक्ता न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।

(iii) अभियुक्ता अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगी।

(iv) अभियुक्ता अभियोजन साक्षीगण पर दबाव नहीं बनायेगी तथा मुकदमे के परीक्षण में सहयोग करेगी।

(V) जब तक कि अभियुक्ता की व्यक्तिगत हाजिरी विचारण न्यायालय द्वारा माफ नहीं की जायेगी, वह प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी।

(Vi) विवेचक, न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित रहेगी।

(Vii) विचारण के दौरान न्यायालय में अभियोजन साक्षी के उपस्थित आने पर साक्षी से उसी दिन जिरह पूर्ण करना सुनिश्चित करेगी।

(Viii) अभियुक्ता के दोनों प्रतिभूगण में से एक प्रतिभू अभियुक्त के रिश्तेदार / परिवारीजन का अवश्य रहेगा।

दिनांक–06.04.2026

(विजय कुमार आजाद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–2, सीतापुर।
J.O.Code–UP6013

अम्बुज/–

Digitally signed by VIJAY KUMAR AZAD
Date: 2026.04.07 14:42:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur